मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत संचालित योजनायें

जनपद चमोली

मध्याह्न भोजन योजना– मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत जनपद में प्राथमिक विद्यालय 939 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय 419 कुल 1358 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जा रहा है जिससे कुल 34968 छात्र–छात्रायें लाभान्वित हो रहे है।

कुकिंग कॉस्ट

- मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों हेतु कुकिंग कॉस्ट की दर रू– 4.13 प्रति छात्र/कार्य दिवस में दिया जाता है।
- मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु कुकिंग कॉस्ट की दर रू– 6.18 प्रति छात्र/कार्य दिवस में दिया जाता है।

अतिरिक्त पोषण

- छात्र–छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु विद्यालयों में प्रत्येक सप्ताह बुद्धवार को अण्डा, गुड़पापड़ी फल इत्यादि दिये जाने का प्राविधान है।

भोजनमाता

- जनपद में कुल कार्यरत भोजनमाताओं की संख्या 1821 है। जिनको एक वित्तीय वर्ष में 11 माह का मानदेय 2000.00/भोजनमाकता की दर से दिया जाता है तथा रू0 1000. 00 बोनस दिपावली के अवसर पर दिया जाता है।

गैस संयोजन

- के द्वारा जनपद के 233 विद्यालयों को गैस कनेक्शन दिये गये है तथा वर्तमान में जनपद स्तर पर कुल 381 विद्यालयों में गैस संयोजन प्राप्त है।

किचन गार्डन

- जनपद के कुल 84 विद्यालयों में किचन गार्डन बनाये जा रहे है। जिसमें बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु विद्यालयों में पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें दाल, चावल एवं सब्जी दी जानी आवश्यक है, परन्तु सब्जियों के मूल्य अधिक हाने के कारण विद्यालयों में प्रत्येक दिवस सब्जी बनाना सम्भव नहीं होता है। विद्यालय में बागवानी की व्यवस्था होने पर इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है साथ ही बागवानी स्थापित करने से विहद्यालय का सोन्दर्यीकरण भी होगा एवं बच्चों को ताजी व पौष्टिक सब्जियां भी प्रत्येक दिवस उपलबध कराई जा सकती है, जिससे बच्चों में आयरन, मिनरल, विटामिन आदि की कमी दूर होगी। विद्यालय स्तर पर किचन गार्डन तैयर करने जैसे अभिनव प्रयासों से बच्चे अपने आस–पास ही कृषी, विभिन्न प्रकार की मौसमी सब्जियों/फलों/खाद/भूमि/बीजों आदि की जानकारी से अवगत हो सकेंगे। जिससे भविष्य में बच्चे सब्जियां फलों आदि का व्यवसाय भी कर सकते हैं। किचन गार्डन में पपीता/नीबू आदि पौधों को भी उगाया जा सकता है

अन्य सुविधायें

- छात्र छात्राओं हेतु विद्यालयों में आकस्मिक व्यय की धनराशि छात्र संख्या के अनुसार प्रेषित किया जाता है, जिसमें बच्चों के हाथ धोने का साबुन/बर्तन धोने वाला साबुन अथवा डिटरजेन्ट/फिनाइल/नैल कटर/तथा भो0मा0 ऐप्रन/हैड कवर/कैप/गल्वस आदि। का क्रय विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से किया जाता है।

दैनिक एस0एम0एस0 प्रणाली

- मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कार्य दिवस में विद्यालयों द्वारा एस0एम0एस0 किया जाता है। जिसका टो0फ्री0 नं0–15544 है जिसके माध्यम से विद्यालयों द्वारा सूचना दी जाती है कि, वर्तमान दिवस में छात्र–छात्राओं की संख्या कितनी है, कितने बच्चों द्वारा एम0डी0एम0 खाया गया, भोजनमाता उपस्थित है अथवा नहीं आदि सूचनायें प्राप्त होती है।